



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी
भोपाल -462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

No. 1133 /SEIAA/2025

Date : 28/08/2025

कार्यालय आदेश

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के कार्यालय आदेश क्र. 1757-58/ SEIAA/2024 दिनांक 28.8.2024 के परिपालन में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों पर 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर परियोजनावार निम्न प्रक्रिया शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं (Construction Project/Area Development Projects)

क्र.	निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	50,000 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर तक विकास क्षेत्र	1,06,294.00
2	50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 60 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	2,12,587.00
3	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	3,18,881.00
4	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 3,00,000 वर्गमीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	4,25,174.00
5	3,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 200 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	5,31,469.00

औद्योगिक, नदी घाटी एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएं (Industrial, River Valley and Other Non-Mining Projects)

क्र.	परियोजना में कुल पूंजी निवेश रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	25 करोड तक	1,06,294.00
2	25 करोड से ज्यादा और 50 करोड के भीतर	1,59,441.00
3	50 करोड से ज्यादा और 100 करोड के भीतर	2,12,587.00
4	100 करोड से ज्यादा और 300 करोड के भीतर	2,65,734.00
5	300 करोड से ज्यादा और 500 करोड के भीतर	3,54,312.00
6	500 करोड से ज्यादा और 1000 करोड के भीतर	5,31,469.00
7	1000 करोड से अधिक	7,08,625.00

प्रमुख खनिज उत्खनन (Major Mineral Mining)

क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	05 हैक्टेयर तक	35,431.00
2	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	70,862.00
3	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	1,06,294.00
4	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,77,156.00
5	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर से अधिक	2,65,734.00

गौण खनिज उत्खनन (Minor Mineral Mining)		
क्र.	माईनिंग लीज क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1	05 हैक्टेयर तक	35,431.00
2	05 हैक्टेयर से ज्यादा और 25 हैक्टेयर के भीतर	70,862.00
3	25 हैक्टेयर से ज्यादा और 50 हैक्टेयर के भीतर	1,06,294.00
4	50 हैक्टेयर से ज्यादा और 75 हैक्टेयर के भीतर	1,77,156.00
5	75 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर से अधिक	2,65,734.00
अन्य प्रकरण		
क्र.	भवन निर्माण, क्षेत्र विकास, औद्योगिक, नदी घाटी, खनन एवं अन्य गैर खनन परियोजनाएं	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
1	संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति (Revised EC), अंतरण/हस्तांतरण (EC/ToR Transfer), EC and TOR वैधता की अवधि विस्तार (Extention of EC/TOR Validity), कम्पनी के विलयीकरण (Amalgamation of Companies) आदि	35,431.00

पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पर उक्त प्रक्रिया शुल्क की राशि पंजाब नेशनल बैंक खाता क्र. 6310000100024537 में ऑनलाईन (RTGS/NEFT/UPI) के माध्यम से Executive Director, EPCO, SEIAA के नाम देय होगी। SEIAA के प्रक्रिया शुल्क में आदेश दिनांक से प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाती है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन क्र. 1134 / SEIAA/2025

दिनांक 28/08/2025

प्रतिलिपि

- 1 स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 - 2 निज सचिव, महानिदेशक, एपको, भोपाल
 - 3 प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल
 - 4 लेखाधिकारी, एपको, भोपाल
 - 5 प्रशासनिक अधिकारी, एपको, भोपाल
 - 6 प्रशासनिक शाखा, सिया, भोपाल
 - 7 सर्व संबंधित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य सचिव